न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण संख्या 182/2025(GCMS : 2025/275)

आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेंस लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956), पंजीकृत कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई–400051 तथा शाखा कार्यालय –श्रीगंगानगर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल व्यास

बनाम

1. **श्री हरजिन्दर सिंह** पुत्र श्री करमजीत सिंह निवासी वार्ड नं. 7, चक 4 एम चक 4 अनूपगढ़, श्रीगंगानगर सम्पत्ति प्लॉट नं. 469, नई मंडी घडसाना आवासीय कॉलोनी, श्रीगंगानगर
2. **करमजीत सिंह** निवासी पता वार्ड नं0 7, चक 4 एम चक 4 अनूपगढ़, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>09.07.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह बराड़ ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण हरजिन्द्र सिंह एवं करमजीत सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 15.55/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 14.01.2025 को 16,28,698/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी हरजिन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 469, नई मंडी घड़साना, आवासीय कॉलोनी, श्रीगंगानगर (उत्तर में रामदयाल चावला/25, दक्षिण में रोड/25, पूर्व में चन्दर भान अरोडा/50 एवं पश्चिम में नीलम अरोड़ा/50)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:02:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण हरजिन्द्र सिंह एवं करमजीत सिंह** को ऋण सुविधा के रूप में 15.55/– लाख रूपये (15.00 + 0.55) **(अखरे रूपये पन्द्रह लाख पच्चपन हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 13.01.2022 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी हरजिन्द्र सिंह ने अपनी अचल **सम्पत्ति प्लॉट नं. 469, नई मंडी घड़साना, आवासीय कॉलोनी, श्रीगंगानगर (उत्तर में रामदयाल चावला/25, दक्षिण में रोड./25, पूर्व में चन्दर भान अरोडा/50 एवं पश्चिम में नीलम अरोड़ा/50),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.01.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:02:24 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी हरजिन्द्र सिंह की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 469, नई मंडी घड़साना, आवासीय कॉलोनी, श्रीगंगानगर (उत्तर में रामदयाल चावला/25, दक्षिण में रोड./25, पूर्व में चन्दर भान अरोडा/50 एवं पश्चिम में नीलम अरोड़ा/50), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.01.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.01.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.01.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है। इजिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों प्रभात अभिनन्दन एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 28.01.2025 को प्रकाशन करवाया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है [illegible] **के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत** [illegible] इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **हरजिन्द्र सिंह** [illegible] बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक [illegible] दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:02:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेंस लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी हरजिन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 469, नई मंडी घड़साना, आवासीय कॉलोनी, श्रीगंगानगर (उत्तर में रामदयाल चावला/25, दक्षिण में रोड./25, पूर्व में चन्दर भान अरोडा/50 एवं पश्चिम में नीलम अरोड़ा/50), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:02:24 IST
Reason: SelfAttested